मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 (फाल्गुन 25, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 108 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की चांदला के ग्राम गुढाखुर्दा को पंचायत घोषित किये जाने,
(2) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की लांजी के किरनापुर में राजस्व कार्यालय न होने,
(3) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग व्यक्ति की हत्या की जाने,
(4) श्री सुनील जायसवाल,सदस्य की नरसिंहपुर सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ऋण वितरण का लक्ष्य न देने,
(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के नरेला स्थित वार्ड क्र. 36 के शासकीय महाविद्यालय में बाउंड्रीवॉल न होने,
(6) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की मुरैना के अम्बाह की पुरानी विद्युत लाइनें बदली जाने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम खुंटका को राजस्व विभाग में शामिल न किये जाने,
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष की प्रदेश में बी.एड. परीक्षा में सुधार किये जाने,
(9) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ के कुण्डालिय बांध की ऊंचाई कम करने तथा
(10) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य की मुरैना की बोर्ड कालोनी से एक बच्चे का अपहरण होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2002-03 पटल पर रखा।

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10, पटल पर रखा।

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। तद्नुसार -

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं सुखदेव पांसे, सदस्यगण ने प्रदेश में संचालित अवैध शिक्षण संस्थानों पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में शासकीय नलकूपों की नीलामी की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश के दो आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की मान्यता निरस्त होने की ओर राज्यमंत्री, आयुष का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, आयुष ने वक्तव्य दिया।

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर के छोटा बांगड़दा पंचायत क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) वारासिवनी-गर्रा के बीच खानेगांव नाले पर पुल निर्माण किये जाने,

(ख) खैरलांजी में महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) वारासिवनी से खण्डवा ग्राम पंचायत के बीच चंदन नदी पर पुल निर्माण किये जाने तथा

(घ) जागपुर-बालाघाट के बीच बैन गंगा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम पंचायत लामटा में कन्या हाई स्कूल खोले जाने तथा

(ख) ग्राम परसवाड़ा में खेल मैदान बनाये जाने,

(3) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल का दर्जा दिये जाने,

(ख) गुनोर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) अमानगंज को विकासखण्ड बनाये जाने तथा

(घ) सुपन्या कटन में पुलिस चौकी खोले जाने,

(4) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम ढेरी में कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने तथा

(ख) ग्राम ढेरी की माध्यमिक शाला में शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाई जाने

(5) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मण्डला जिले के -

(क) बुढनेर नदी के झिगरा घाट पर क्रासिंग स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बारंगदा में सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने तथा

(ग) ग्राम चिमकाटोला गौर नदी पर क्रासिंग स्टाप डेम का निर्माण किये जाने एवं

(6) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम जोबगढ़ में पृथ्वी नारायण कूप तक विद्युत पोल लगाये जाने **संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।**

6. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(10) श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 5	जेल के लिए एक सौ छप्पन करोड़, उन्तालीस लाख, चंवालीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए साठ करोड़, इक्यासी लाख, चौंतीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 5	1, 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 17
मांग संख्या - 36	1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुनील जायसवाल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्रीमती साधना स्थापक
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री आरिफ अकील

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री ताराचन्द बावरिया
(7) श्री पारस सकलेचा
(8) डॉ. गोविन्द सिंह
(9) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(10) श्री सुखदेव पांसे
(11) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(12) श्री रामलखन सिंह
(13) श्री रामलल्लू वैश्य

श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा अपना और परिवार का सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखा।

8. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(11) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए चार हजार एक सौ अड़तीस करोड़, उन्नीस लाख, उनहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक हजार दो सौ इक्यासी करोड़, चौवन लाख, अड़सठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 27	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27
मांग संख्या - 77	3, 11, 12

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह
(7) श्री केदारनाथ शुक्ल
(8) श्री अजय यादव
(9) श्री नारायण प्रजापति
(10) श्रीमती ललिता यादव
(11) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(12) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(13) श्री आरिफ अकील
(14) श्री राधेलाल बघेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(12) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 14	पशुपालन के लिए चार सौ इकसठ करोड़, अठानवे लाख, छत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 16	मछली पालन के लिए छियालीस करोड़, चौबीस लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चवांलीस करोड़, छियालीस लाख, इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए चार सौ उन्नीस करोड़, आठ लाख, छत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए अट्ठाईस करोड़, अड़तीस लाख, बहत्तर हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 14	1, 4, 5, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 25
मांग संख्या - 16	2, 3, 4, 7, 12, 19
मांग संख्या - 63	1, 3, 7, 10, 13, 14
मांग संख्या - 66	1, 5, 7, 8, 10
मांग संख्या - 76	1, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(6) श्री मदन कुशवाह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) श्रीमती साधना स्थापक

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) श्री जेबियर मेड़ा
(10) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(11) डॉ. गोविन्द सिंह
(12) श्री रामखेलावन पटेल

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(13) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 26	संस्कृति के लिए छियानवे करोड़, तेईस लाख, छः हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 32	जनसंपर्क के लिए एक सौ सोलह करोड़, अड़तीस लाख, तिरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए आठ सौ तिरानवे करोड़, चौहत्तर लाख, छिहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए दो सौ चौरानवे करोड़, बावन लाख, तैंतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए चौदह करोड़, उन्तालीस लाख, बावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन करोड़, सत्तर लाख, दो हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 26	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14
मांग संख्या - 32	1, 2, 4, 5, 8
मांग संख्या - 44	1, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26
मांग संख्या - 47	1, 4, 7, 13, 14, 15, 18
मांग संख्या - 51	1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20
मांग संख्या - 70	1, 2, 4, 5

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री दीपक कैलाश जोशी
(3) श्री राजवर्धन सिंह
(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री गौतम टेटवाल
(6) श्री श्रीकांत दुबे
(7) श्री मोहन शर्मा
(8) श्री बृजेन्द्र सिंह

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से प्रस्तुत मांग पर कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(10) श्री तुलसीराम सिलावट
(11) श्री रामलखन सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(12) श्री मानवेन्द्र सिंह
(13) श्री पारस सकलेचा

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 8.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 (फाल्गुन 26, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 2011